पुलिस बल में महिलाओं की स्थिति एवं समस्यायें

डॉ0 के0 के0 शर्मा* & डॉ0 रिम्पी गुप्ता**

**एसो. प्रो., एम0 एम0 कॉलेज, मोदीनगर*

***पी०डी०एफ०, एम०एम० पी0डी0 कॉलेज, मोदीनगर*

सारांश

यद्यपि देश की शासन व्यवस्था में पुलिस बल की एक अहम भूमिका है परन्तु उसी पुलिस बल में महिला पुलिस को वो सुविधायें प्राप्त नही है जो होनी चाहिए। यद्यपि देश में न केवल अपराधो की संख्या में वृद्धि हो रही है वरन उसमे महिला अपराधियों एवं महिला के विरूद्ध अपराध अत्यधिक है। जिसे देखते हुए न केवल महिला पुलिस की संख्या मे वृद्धि करनी चाहिए बल्कि उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ–साथ उनकी कार्यकारी परिस्थितियों को सन्तोषजनक बनाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने चाहिए। हालाकि देश में बढ़ते हुए अपराधो को देखते हुए महिला पुलिस की संख्या में पहले की अपेक्षा बढोतरी हुई है परन्तु फिर भी महिला पुलिस को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे– पुरूष पुलिस महिला पुलिस की कभी सराहना ही नही करते वरन उन्हे अपने से कमजोर मानते है। महिला पुलिस के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव किया जाता है, भर्ती प्रक्रिया में उच्चे पदो पर केवल पुरूष पुलिस को ही आसीन किया जाता है महिला पुलिस की कार्य करने की समय अवधि अधिक है जब कि उन पर परिवार का कार्यभार अत्यधिक होता है। महिला पुलिस को पर्याप्त सुविधाये भी उपलब्ध नही है। यही कारण है कि महिला पुलिस सक्षम होते हुए भी अपने कार्य के प्रति सन्तोषजनक नही है इसलिए सरकार को अन्य क्षेत्रो की भाँति महिला पुलिस की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि महिला पुलिस जो प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वह न केवल अपना कार्य भलीभाति करे वरन उसका काम उसे केवल नोकरी न प्रतीत हो वह एक महत्वपूर्ण देश के सेवक के रूप में अपना कार्यभार सँभाले। हमें इस बात में तनिक भी सन्देह नही कि वो दिन दूर नही जब अन्य क्षेत्रो की भाँति महिला पुलिस विभाग मे अपनी सर्वोच्च एवं अपनी श्रेष्ठता स्थापित करेगी तथा जो महिला एक परिवार की आधारशीला है वही भावी समाज की कर्णधार होगी। अवश्यकता है सिर्फ सरकार की इस ओर जागरूक होने की यही हमारा लक्ष्य है यही हमारा विश्वास।

मूल शब्द

महिला पुलिस एपुरूष पुलिसए अपराध एसमस्यायें एकार्यकारी परिस्थितिया एसरकार ।

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ0 के0के0 शर्मा& डॉ रिम्पी गुप्ता****

पुलिस बल में महिलाओं की स्थिति एवं समस्यायें

RJPP 2018, Vol. 16, No. 1, pp. 19-29
Article No. 10
Receving on 7/03/2018
Approved on 27/03/ 2018

***Online available at** : http://anubooks.com/?page_id=2004*

प्रारम्भ में पुलिस में महिलाओं के रोजगार को सन्देह और बदनामता के साथ देखा गया था। जब पंजाब पुलिस आयोग ने (1961–62) महिलाओं को पुलिस में शामिल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकार के विचारों को खारिज कर दिया, तब तमिलनाडु में सचिव और पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि पुलिस में महिलाओं की आवश्यकता की कमी होगी, क्योंकि वे नौकरी की कठिन आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। हालांकि बदलते हुए सामाजिक परिवेश को देखते हुए, महिलाओं की अपराधों में बढ़ती हुई भागीदारी या तो अभियुक्त या शिकार के रूप में बढ़ रहे किशोर अपराध और घरेलू हिंसा के रूप में हो, पुलिस में अधिक संख्या में महिलाओं को रोजगार अवश्य मिलना चाहिए।

यद्यपि अब दुनिया में महिलायें पुलिस बल का एक अभिन्न हिस्सा बन गयी हैं। तथापि उनकी संख्या का स्तर निम्न है। भारत में गृह मंत्रालय की नवीनतम तत्कालिक रिपोर्ट के अनुसार देश में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत 53 % है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और चंड़ीगढ़ में पुलिस बल में महिला का अपेक्षाकृत बेहतर प्रतिनिधित्व है।

1997 में तमिलनाडु में अधिकारियों ने श्रम कानून में एस का लाभ उठाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुलिस बल में 33% महिलायें हैं। महिला पुलिस अधिकारियों का प्रतिशत दक्षिण अफ्रीका में 29%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 14%, ऑस्ट्रेलिया में 30% और कनाड़ा में 18% है।

अन्तर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार महिला पुलिस की नौकरी के लिए अनुपयुक्त है। उनके अनुसार महिला पुलिस कम शारीरिक क्षमता का प्रयोग करता है। यद्यपि हिंसक जनता को शांत करने हेतु अत्यधिक शारीरिक क्षमता वाले पुलिस बल की आवश्यकता होती है।

यद्यपि महिला पुलिस अपने पुरूष समकक्षों की तुलना में बेहतर संचार कौशल बनाते हैं और सार्वजनिक सहयोग और विश्वास को बेहतर करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार लन्दन में दिये गये एक शोध ने भी एक पैट्रोलिंग के कार्य में महिला एवं पुरूष पुलिस बल में अन्तर पाया है। इसके अतिरिक्त महिला पर कोई अत्याचार होता है तो उस समय महिला में पुरूष पुलिस कर्मी की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता है। यही कारण है कि कुछ मामलों में महिलायें पुलिस कार्य हेतु पुरूषों की अपेक्षा अत्यधिक सजग है।

आँकडों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 80 : पुलिस बल गैर अपराधी और पुलिस सेवा कार्यों में ही व्यस्त रहता है। भारत में अब अर्द्धसैनिक बलों में भी महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। महिलाओं को अब पुलिस बल में बहुत अधिक संख्या में सम्मिलित किया जा रहा है।

भारत में सर्वप्रथम महिला पुलिस अधिकारी को केरल में नियुक्त किया गया था। केरल में त्रावणकोर में 1933 में नियुक्त किया गया था। सबसे पहले महिला IPS अधिकारी को 1972 में नियुक्त किया गया था। हमारे देश में पुलिस बल की संख्या वर्तमान समय में 1,722,786 है जिसमें से महिला पुलिस की संख्या 105,325 है। यह भारत में पुलिस बल की कुल संख्या का लगभग 6.11% है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2014 तक महिला पुलिस की संख्या एवं अनुपात विभिन्न राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण है जैसे चंड़ीगढ़ में 14.6%,

तमिलनाडु में 12.4%, अण्डमान निकोबार में 11.2% सबसे ज्यादा था और सबसे कम मेघालय में 2.8%, नागालैंड में 1% और असम में 0.9% था।

लेकिन धीरे–धीरे पिछले 5 वर्षों में महिला पुलिस की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है जो अब बढ़कर 33% हो गयी है। 2008 में जहाँ महिला पुलिस कर्मियों का प्रतिशत 3.9 प्रतिशत था वह 2014 में बढ़कर 6.11% हो गया है।

महिला पुलिस कर्मियों की संख्या

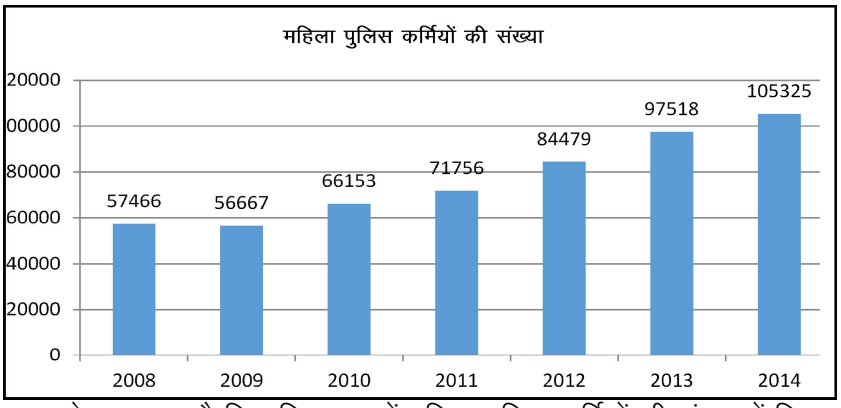

इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस बल में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यद्यपि अब पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है परन्तु महिलाओं को पुलिस बल में न केवल विभिन्नताओं वरन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

1.पुरूष पुलिस कर्मी का व्यवहार

सबसे पहले उनके पुरूष प्रतिवाद से उन्हें सभी की प्रशंसा नहीं मिलती, शोध के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि पुलिस बल में महिलाओं को उनके पुरूष वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सरलता से स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हें अपने पुरूष सहयोगी द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वे कठिन कार्य के लिए महिला को अविश्वसनीय मानते हैं। महिला पुलिस कर्मियों को इस समस्या का सामना संसार के हर देश में करना पड़ता है जबकि जनता महिला पुलिस को एक सकारात्मक दृष्टि से देखती ही नही है वरन् उनका स्वागत भी करती है।

2.कार्यस्थल उत्पीड़न

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की प्रचलित संस्कृति द्वारा नकारात्मक दृष्टिकोण अलग–अलग रूप से जोड़ा जाता है। यह न केवल मौखिक बल्कि शारीरिक उत्पीड़न भी हैं जिसे महिला पुलिस को सहन करना पड़ता है। ब्राउन के तुलनात्मक अध्ययन में जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और यू०एस० का अध्ययन किया था, ने यह स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया में 38%, और ब्रिटिश महिला पुलिस कर्मियों में 57% कर्मियों को उत्पीड़न का शिकार पाया गया है। यौन उत्पीड़न के दोहरे मामले सामने आये हैं। प्रथम तो विशेष व्यक्ति पर निदेर्शित एक अतिवादी उत्पीड़न और द्वितीय विरोधी कार्य वातावरण है जो उत्पीड़न की स्थिति पैदा करता है। यद्यपि भारत में यौन

को सहन करना पड़ता है। ब्राउन के तुलनात्मक अध्ययन में जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और यू०एस० का अध्ययन किया था, ने यह स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया में 38% और ब्रिटिश महिला पुलिस कर्मियों में 57% कर्मियों को उत्पीड़न का शिकार पाया गया है। यौन उत्पीड़न के दोहरे मामले सामने आये हैं। प्रथम तो विशेष व्यक्ति पर निदेर्शित एक अतिवादी उत्पीड़न और द्वितीय विरोधी कार्य वातावरण है जो उत्पीड़न की स्थिति पैदा करता है। यद्यपि भारत में यौन उत्पीड़न के बारे में कोई शोध नहीं किया गया है परन्तु यौन उत्पीड़न के साक्ष्य उपलब्ध है। विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थान में कान्सटेबल के रूप में महिला कर्मचारियों की आम प्रतिक्रिया या तो उत्पीडन की उपेक्षा करना या उन परिस्थितियों से बचने के लिए होती है जिसमें इस तरह के उत्पीड़न के कारण अधिकता उत्पन्न होती है। अधिकांशतः पीड़ित महिला एक औपचारिक शिकायत के लिए अनिच्छुक होती है क्योंकि उनके पास उतनी शक्ति नहीं होती। एक शोध के अनुसार केरल और हरियाणा में ऐसी महिला कर्मियों का प्रतिशत 7.5% है।

3. भर्ती प्रक्रिया

लिंग के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया भर्ती या आवश्यकताओं की प्रक्रिया से ही आरम्भ होती है। ऊँचे–ऊँचे पदों को केवल पुरूषों के लिए ही सुरक्षित रखा जाता है। कान्सटेबल पुलिस अधीक्षक जैसे पद ही केवल महिलाओं को प्राप्त होते हैं। यद्यपि अब पुलिस बल में महिला उम्मीदवार के लिए जगह निश्चित कर दी गयी है परन्तु उन्हें केवल निम्न स्तर में ही पद प्राप्त हैं। यही कारण है कि महिलायें सक्षम होते हुए भी पुलिस बल में ऊँचे पदों पर पुरूष ही कार्यरत हैं परन्तु जब सरकार को महिला पुलिस का लाभ दिखा तो उन्हें प्रशिक्षण में स्थान मिला।

4. कार्य करने की समय अवधि

महिला पुलिस अधिकारी के लिए काम करने की समय अवधि भी अनुकूल नहीं हैं। शोध के द्वारा यह स्पष्ट है कि पुलिस स्टेशन के 90% अधिकारी इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार उनके काम करने की समय अवधि 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष रूप से 12 घंटे की कार्य अवधि एक कठिन समस्या है। प्रथम तो यह कि यदि वे अपने घर से बाहर शहर में कार्यरत है तो उन्हें घर और कार्यालय की दोहरी भूमिका निभाने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और द्वितीय वे अपने परिवार एवं बच्चों के लिए नाममात्र भी समय नहीं निकाल पाती। जिसके कारण उनके मस्तिष्क में पुलिस की नौकरी के प्रति असन्तुष्टि की भावना जाग्रत होती है।

5. अपर्याप्त सुविधायें

सबसे गम्भीर सीमित कारकों में से एक और एक सकल मानवाधिकार उल्लंघन पुलिस स्टेशन में महिला के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। यह समस्या महिला यातायात पुलिस के लिए और भी बदत्तर है। इन बुनियादी सुविधाओं में भी उच्च एवं निम्न स्तर के अधिकारियों में भी भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में यह सुविधा केवल IPS अधिकारियों को ही प्राप्त है। 2013 में राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों को शौचालय,

उत्पीड़न के बारे में कोई शोध नहीं किया गया है परन्तु यौन उत्पीड़न के साक्ष्य उपलब्ध है। विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थान में कान्सटेबल के रूप में सरकार ने पुलिस अधिकारियों को शौचालय, आरामदायक कमरें इत्यादि सुविधाओं के लिए नियम बनाये थे। इसी प्रकार समकालीन सुविधाओं में भी भेदभाव देखने कों मिलता है। जैसे कि IPS आफिसर को 180 दिनों की गर्भकालीन अवकाश एवं 2 साल तक बाल सुरक्षा हेतु अवकाश मिलता है परन्तु निम्न स्तर के अधिकारियों को केवल 135–180 दिनों का ही अवकाश मिलता है। यद्यपि हरियाणा और बिहार में 2 साल के अवकाश की बात कही है परन्तु इसे वास्तविकता में लाना एक दुष्कर कार्य है।

यही कारण है कि महिला पुलिस कर्मी सक्षम होते हुए भी पुलिस कार्य के लिए सन्तुष्ट नहीं है क्योंकि उन्हें अपने ही विभाग में न केवल भेदभाव की दृष्टि से देख जाता है वरन् विभिन्न आवष्यकताओं, सुविधाओं में भी उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरूष पुलिस ही महिला पुलिस का न केवल उत्पीड़न करते हैं वरन् उनकी कभी सहायता भी नहीं करते। तथापि पुलिस बल में एक सम्पूर्ण पुलिस कर्मचारी के रूप में महिला की उपलब्धि पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है परन्तु अलीम ने राज्य पुलिस केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों में एक भाग के रूप में महिला पुलिस की एक समेकित तस्वीर प्रस्तुत की है। महिला एवं बाल अपराधियों की बढ़ती हुई घटनाओं ने महिला पुलिस की आवश्यकता पर बल दिया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब किसी महिला पर अत्याचार होता है तब उस महिला में पुरूषों के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वह महिला पुलिस कर्मी के साथ पुरूष पुलिस की अपेक्षा अधिक आरामदेय व सहानुभूति पूर्ण महसूस करती है इसलिए हमारी प्रशासन व्यवस्था को न केवल पुलिस बल में महिला कर्मियों की नियुक्तियों की संख्या बढ़ानी चाहिए वरन् उन्हें पर्याप्त सुविधायें भी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि महिला पुलिस में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो ताकि वे स्वावलम्बी बनकर एक आधारशिला स्थापित कर सकें।

यद्यपि महिला पुलिस अपने पुरूष समकक्षों की तुलना में बेहतर संचार कौशल बनाती हैं और सार्वजनिक सहयोग और विश्वास को बेहतर करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त महिला पर कोई अत्याचार होता है तो समय महिला पुलिसकर्मी में पुरूष पुलिसकर्मी की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता है, यही कारण है कि कुछ मामलों में महिलायें पुलिस कार्य हेतु पुरूषों की अपेक्षा अधिक सजग हैं।

आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 80% पुलिस बल गैर अपराधी और पुलिस सेंवा कार्यों में व्यस्त रहता है इसलिए महिला सम्बन्धी मामलों का समस्त कार्यभार महिला पुलिस को सौंपा जाना चाहिए परन्तु महिलाओं को इतना सक्षम होते हुए भी पुलिस बल में न केवल विभिन्नताओं वरन् अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को जानने हेतु हमने महिला पुलिसकर्मियों से साक्षात्कार प्रक्रिया द्वारा तालिकाएँ तैयार की है जो निम्नवत् है–

तालिका नं०–1
कार्य विवरण

क्र०सं०	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	**पुलिस कार्य को नौकरी के रूप चुनने का कारण**		
	क्या आपको कोई और नौकरी नहीं मिली	20	20%
	बाल्यावस्था से पुलिस कार्य में रूचि थी	29	29%
	जनता की सहायता करना चाहती थी	31	31%
	पति या माता पिता ने पुलिस कार्य हेतु दबाव डाला था	6	6%
	यह नौकरी सुरक्षित है	7	7%
	अन्य कारण	3	3%
	कुल	**96**	**100.00**
2.	**क्या पुलिस की यह नौकरी तुम्हारी पहली नौकरी है**		
	हाँ	86	86%
	नहीं	10	10%
	कुल	**96**	**100.00**
3.	**इससे पहली नौकरी छोड़ने का कारण**		
	इस नौकरी में ज्यादा पैसे हैं	10	10%
	इस नौकरी में ज्यादा बल है	40	40%
	जनता में इस नौकरी में ज्यादा सम्मान है	40	40%
	इस नौकरी में ज्यादा फायदा है	4	4%
	अन्य कारण	2	2%
	कुल	**96**	**100.00**

जब उत्तरदाताओं की नियुक्तियों का निर्धारण किया गया तो यह पाया गया कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत अत्यन्त कम है। केवल 21%महिलाओं को उनके उत्कृष्ट खेल के लिए पुलिस बल में नियुक्त किया गया। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति केवल 3.1%है और अन्य माध्यमों के द्वारा नियुक्ति का प्रतिशत केवल 1%है जबकि 93.8%प्रत्यक्ष नियुक्ति हुई है।

50%उत्तरदाताओं के द्वारा यह स्पष्ट है कि पुलिस विभाग की नौकरी अन्य विभाग से बेहतर है जबकि 50% उत्तरदाताओं ने इसे नकारात्मक तरीके से बताया है। उनके अनुसार इस कार्य में कोई भी आराम नहीं है। इसमें अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक दबाव पड़ता है। इनके काम करने का कोई निश्चित समय नहीं है।[1] यहाँ पर उत्तरदाताओं के आधार पर कार्य सन्तुष्टि की तालिका दर्शायी गयी है, जो निम्नवत् है–

तालिका नं०–2
कार्य सन्तुष्टिकरण

क्र०सं०	विवरण		आवृत्ति	प्रतिशत
1.	क्या तुम्हारी नौकरी अन्य विभाग की नौकरी से बेहतर है	हाँ	48	48%
		नहीं	48	48%
		कुल	96.00	100.00
2.	क्या आपको लगता है कि पुलिस की नौकरी आपकी क्षमता पर निभर है	हाँ	92	92%
		नहीं	4	4%
		कुल	96	100.00
3.	क्या आप अपनी सेवानिवृत्ति तक इस काम को जारी रखना चाहते हैं	हाँ	78	78%
		नहीं	18	78%
		कुल	96	100.00
4.	क्या आपके परिवार और मित्र आपकी इस काम में सहायता करते हैं	हाँ	74	71%
		नहीं	25	25%
		कुल	96	100.00
5.	क्या आपको लगता है कि समाज आपकी नौकरी को एक महिला पुलिस की दृष्टि से पहचानती है।	हाँ	87	87%
		नहीं	9	9%
		कुल	96	100.00
6.	क्या आपको लगता है कि महिला पुलिस ने इस समाज का विश्वास प्राप्त कर लिया है	हाँ	87	87%
		नहीं	9	9%
		कुल	96	100.00

जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या वे समाज के विश्वास को हासिल करने में सफल रहे हैं तो नमूने की एक बड़ी संख्या 90.6% से एक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी कि महिलाओं में पुलिस ने न केवल समाज का विश्वास प्राप्त किया है बल्कि उनका कार्य प्रभावी ढ़ंग से कामयाब रहा, केवल 9.4% उत्तरदाताओं ने नकारात्मक प्रक्रिया दी है।

जहाँ तक समाज का आत्मविश्वास बढ़ाना है, उस पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। समाज में महिला लोक का विश्वास प्राप्त करने पर जोर दिया जा सकता है। सभी महिला पुलिस थानों को समाज में अन्य महिला लोक के कल्याण और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था क्योंकि कई बार पीड़ित व्यक्ति, विभिन्न व्यक्तिगत और सामाजिक कारणों से पुरूष पुलिस अधिकारी को अपनी समस्या पेश करने की स्थिति में नहीं होता। अनेकों बार महिलाओं के मकसद के बारे में सन्देह होने के लिए पुरूष पुलिस अधिकारियों की आलोचना की गयी है। जो यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए अपील को खारिज करने के लिए और ऐसे आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए अनिच्छुक हैं। यही कारण है कि महिला पुलिस थाने में महिला पीड़ित पूरे विश्वास के साथ आती है और विशेषकर जब जबकि उस पर पुरूष द्वारा अत्याचार हुआ हो क्योंकि ऐसे में महिला पीड़ित पुरूषों के प्रति अविश्वास की भावना रखती है। वह महिला पुलिस के साथ सहज और सरलता से अपनी वेदना को बता सकती है।

तालिका नं०–3
महिला पुलिस की कार्यकारी परिस्थितियाँ

क्र.सं.	विवरण	हा	नहीं
1.	क्या आप अपने कार्य करने के तरीके से सन्तुष्ट है जैसे– सप्ताह में सातों दिन काम करना, गशत पर जाना तथा महिला यात्री एवं अपराधी की जांच पड़ताल करना?	66	30
2.	क्या आप 24 घण्टे के कार्य समय से सन्तुष्ट है?	29	67
3.	आप के अनुसार कार्य के लिए कितने घण्टे निश्चित होने चाहिए 7–8 घण्टे 9–10 घण्टे 11 या अधिक घण्टे	 55 4 37	
4.	क्या आप अपने त्यौहार या पर्व पर लगने वाली डयूटी से सन्तुष्ट हैं?	56	40
5.	क्या बाहरी काम में लगे हुए आम पुलिस के लिए पर्याप्त मातृत्व अवकाश की अवधि प्रदान की गई है?	40	56
6.	क्या आपके विभाग के द्वारा आपके लिए कोई समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं?	7	89

यह जानना परम आवश्यक है कि महिला पुलिस की कार्यकारी परिस्थितियाँ कैसी हैं? क्योंकि किसी भी कार्य को भली भाँति करने के लिए एवं कार्य सन्तुष्टि के लिए कार्यकारी परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जब महिला पुलिस से यह पूछा गया कि वे अपने काम के पैटर्न से सन्तुष्ट हैं तो 66% ने हाँ और 30%ने ना में जवाब दिया था। महिला पुलिस को उनके पुरूष साथी के समान कार्यात्मक क्षमता वाला नहीं माना जाता। इसलिए ज्यादातर उन्हें कम कार्यक्षमता वाला भार सौंपा जाता है ताकि वे उसका सरलता से निष्पादन कर सके और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ें, यही कारण है कि उन्हें गर्त पर जाना, महिला यात्रियों की जाँच–पड़ताल करना, त्यौहारों पर डयूटी लगाना जैसे काम दिये जाते हैं क्योंकि ये समस्त कार्य मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं। यही कारण है कि महिला पुलिस में असन्तोष की भावना जागृत होती है क्योंकि महिला पुलिस का कुछ प्रतिशत भाग न तो यात्रियों की जाँच करना पसन्द करता है और न ही कार्यक्रम या त्यौहारों, मेलों इत्यादि में अपनी डयूटी लगवाना चाहता है क्योंकि कई बार उन्हें सवारियों व आन्दोलनकारियों के बुरे बर्ताव को बर्दाषत करना पड़ता है।[2]

जब उत्तरदाताओं से उनके कार्य करने के घण्टे के बारे में पूछा गया तो 67%ने नहीं में जवाब दिया जबकि केवल 29% ने हाँ में जवाब दिया यानि कि 50से ज्यादा महिला पुलिस अपने कार्य करने के घण्टे से सन्तुष्ट नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे शारीरिक तौर पर 24 घण्टे की डयूटी से सन्तुष्ट नहीं होती[3] क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह है कि वे परिवार और बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाती। दूसरा कभी आपातकालीन स्थिति में भी उन्हें अपने घर जाने

की अनुमति नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त उन्हें पूरे सप्ताह में एक दिन का भी अवकाश नहीं मिलता ताकि वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कर सके। महिला पुलिस का असन्तुष्टिकरण का एक प्रमुख कारण यह भी है। अधिकांषतः उत्तरदाताओं का यह मानना था कि उसके कार्य को शिफ्टों में बाँटा जाना चाहिए ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े।

जब उत्तरदाताओं से उनके कार्य करने के घण्टों के बारे में पूछा गया तो अधिकांशतः उत्तरदाताओं का यही मानना था कि काम करने के घण्टे 7–8 होने चाहिए जबकि कुछ का कहना था 9 से 10 और बहुत कम का प्रतिशत 11 घण्टे था क्योंकि अधिकांश पुलिस कर्मियों का कहना था कि उनका कार्य ज्यादातर गशत पर जाना, जाँच–पड़ताल करना और भीड़–भडाके वाले इलाके में निरीक्षण होता है जिसमें अत्यधिक शारीरिक क्षमता खर्च होती है और 7–8 घण्टे की डयूटी के बाद पर्याप्त क्षमता नहीं बचती इसलिए हमारे काम करने के घण्टे 7–8 निश्चित होने चाहिए।[4]

इसके अतिरिक्त जब उत्तरदाताओं से उनकी किसी पर्व, त्यौहारों पर डयूटी के बारे में पूछा गया तो अधिकांश अपने इस कार्य से सन्तुष्ट नहीं थे। इसका प्रमुख कारण यह है कि किसी कारणवश वे छुट्टी पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका अवकाश न केवल रद्द कर दिया जाता है वरन् उन्हें दोबारा डयूटी पर बुला लिया जाता है।[5]चाहे महिला पुलिस को कितनी असुविधा का सामना करना पड़े। यही कारण है कि महिला पुलिस इस कार्य से सन्तुष्ट नहीं है।

इसी प्रकार जब महिला पुलिस से उनके मातृत्व अवकाश के बारे में पूछा गया तो अधिकांश का यही कहना था कि पुलिस विभाग में मातृत्व अवकाश की अवधि पर्याप्त नहीं है क्योंकि जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद माता को कोई अवकाश नहीं मिलता। उसे तुरन्त अपनी नौकरी पर जाना पड़ता है। यदि उसके परिवार में कोई बच्चा सम्भालने वाला नहीं हो तो उसे बच्चे की देखभाल हेतु गवर्नस को रखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।इसी प्रकार महिला पुलिस से उनके वरिष्ठ अधिकारियों का उनके प्रति व्यवहार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गयी जो निम्नवत् है–

तालिका नं०–4

महिला पुलिस के प्रति वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार

क्र.सं.	विवरण	हाँ	नहीं
1.	क्या आपको लगता है कि लिंग के आधार पर कर्त्तव्य के स्थान पर कोई भेदभाव किया जाता है?	18	78
2.	क्या कार्य स्थान पर आपको कार्य सौपते समय कोई प्राथमिकता दी जाती है।?	18	78
3.	आपको आपके विभाग द्वारा पुरूष पुलिस के समक्ष कैसा व्यवहार दिया जाता है। पुरूष के सामान पुरूष से अच्छा या पुरूष से कुछ बेहतर	 77 7 12	
4.	क्या तुम्हारे कार्य में तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी तरह का दखल दिया जाता है।	30	66
5.	क्या तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी तुम्हारी सहायता करते हैं।	88	8
6.	क्या ड्यूटी पर कोई शारीरिक शोषण होता है।	00	96

जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या उनके कार्यस्थल पर लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो 78% उत्तरदाताओं का मत था नहीं परन्तु 18% उत्तरदाताओं ने इसकी पुष्टि हाँ में की है परन्तु इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें पुलिस की अपेक्षा महिला दृष्टि से देखकर कम कार्यभार सौंपा गया हो। इसी प्रकार जब यह पूछा गया कि वरिष्ठ अधिकारी पुरूष या महिला पुलिस में भेदभाव करते हैं तो अधिकांश उत्तरदाताओं का मत था कि उनके साथ पुरूष पुलिस की भाँति ही व्यवहार किया जाता है[1] जबकि एक छोटा प्रतिशत ही नही के समर्थन में था। अवश्य ही इसका कोई प्रमुख कारण रहा होगा। जैसे हो सकता है वरिष्ठ अधिकारी उन पर कम कार्य दबाव डालना चाहते हो।

जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वरिष्ठ अधिकारी तुम्हारी सहायता करते हैं तो अधिकांश का यही कहना था कि वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग के बिना हम कोई कार्य भलीभाँति नहीं कर सकते और हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हमारे साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण नहीं किया जाता। यही नहीं वरन् यदि हमें अपने कार्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वरिष्ठ अधिकारी हमारी समस्या का समाधान करते हैं।

रेखाचित्र नं०–1

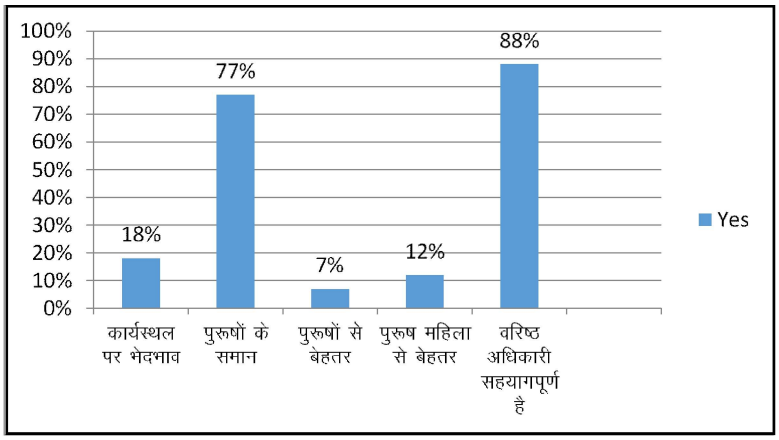

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महिला पुलिस की कार्यकारी परिस्थितियाँ अच्छी हैं। यद्यपि महिला पुलिस को 24 घण्टे की ड्यूटी, पूरे सप्ताह ड्यूटी, बिना अवकाश के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है परन्तु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस हमारे प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार एक मानव शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के सुरक्षित नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रशासन भी बिना पुलिस की सहायता के सही प्रकार से संचालित नहीं हो सकता इसलिए हमें पुलिस की आवश्यकता हर समय हो सकती है। जिस प्रकार जल के बिना मनुष्य नहीं रह सकता इसी प्रकार प्रशासन बिना पुलिस के नहीं चल सकता। हाँ इतना अवश्य है कि महिला पुलिस की समस्याओं को देखते हुए उसमें कुछ सुधार अवश्य किया जाना चाहिए।

परन्तु महिला पुलिस को भी पुरूष पुलिस की भाँति पूर्ण समर्पण की भावना से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। फिर भी महिला पुलिस को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(Footnotes)

[1] कान्सटेबल संगीता महिला थाना पुलिस लाइन मेरठ
[2] थाना सहायक निरीक्षक अनु सैनी, महिला थाना पुलिस लाइन मेरठ
[3] कान्सटेबल लक्ष्मी सिंह महिला थाना पुलिस लाइन मेरठ
[4] कान्सटेबल सुरेशना महिला थाना पुलिस लाइन मेरठ
[5] कान्सटेबल योगिता सिंह महिला थाना पुलिस लाइन मेरठ
[6] थानाध्यक्ष नेहा चौहान महिला थाना पुलिस लाइन मेरठ

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

. महाजन अमरजीत *''इण्डियन पुलिस वूमैनःए सोशियोलोजिकल स्टडी ऑफ , न्यूरोल''* दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली **1982**

. बालकिन जोसेफ *''ह्वाय पुलिसमैन डान्ट लाइक पुलिस वीमैन''* जनरल ऑफ पुलिस साइन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाल्यूम **16 नं० 1,** यू०एस०ए०

. मिश्रा शरद चन्द्र *''पुलिस संगठन और प्रशासन''* पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली, 1977

. राव एस० मोहम्मद वूमैन पुलिस इन इण्डिया, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, दिल्ली **1975**

. फ्रेजर बारबरा *''लॉ इन्फोर्समेन्ट इन यू०एस०ए०''* **1985**

. अलीम, शमीम ''वूमैन इन इण्डियन पुलिस स्टार्लिंग पब्लिशर्स '', **(1991)**

. महाजन अमरजीत *''इण्डियन पुलिस वूमैनः , सोशियो लोजिकल स्टडी ऑफ , न्यूरोल''* दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली **1982**

. गौड, संजय *भारतीय पुलिस व्यवस्था,* बुक एनकलेव, जयपुर, **2006**